प्रमाणित प्रतिलिपि

न्यायालय–अनुविभागीय अधिकारी परगना भिण्ड जिला भिण्ड (म.प्र.)

प्र.क्र. ....4..../2009-10/1:2

प्रभूदास शिक्षा प्रसार समिति अध्यक्ष
जगतनारायण शर्मा सचिव सुमित नारायण
शर्मा निवासी नया रोड भिण्ड आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

(आदेश क्रमांक 20-10 को सम्मत)

आवेदक प्रभूदास शिक्षा प्रसार समिति अध्यक्ष जगतनारायण शर्मा सचिव सुमित नारायण शर्मा निवासी नया रोड भिण्ड ग्राम अकोड़ा की भूमि सर्वे क्रमांक 39.क.ख रकबा 0.487 में क्षेत्रफल 2250.00 वर्गफीट/वर्गमीटर के व्यपवर्तन की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा वर्तमान तथा राजस्व निरीक्षक द्वारा वर्तमान से स्थल जांच प्रतिवेदन लिया गया जिसके अनुसार भूमि स्वामित्व है। प्रश्नाधीन भूमि में शासकीय भूमि शामिल नहीं है। तथा व्यपवर्तन किए जाने से सार्वजनिक हित में कोई बाधा नहीं है।

अतः भू-राजस्व संहिता की धारा 172 के अंतर्गत ग्राम अकोड़ा के सर्वे क्रमांक 39.क.ख रकबा 0.487 में क्षेत्रफल 2250.00 वर्गफीट/वर्गमीटर के व्यपवर्तन की स्वीकृति आवेदक को निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. निर्माण कार्य नगर पालिका एवं संबंधित निकाय की विधिवत स्वीकृत तथा लेआउट की मंजूरी पश्चात् किया जावें।
2. शासकीय भूमि पर अतिक्रमण न किया जावें।
3. ऐसा कोई निर्माण कार्य न किया जावें जिससे सार्वजनिक हित में कोई बाधा उत्पन्न न हो।
4. ऐसा कोई कार्य न किया जावे जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो।
5. व्यपवर्तित क्षेत्र 2250.00 वर्गफीट/वर्गमीटर पर पुनः निर्धारण 92.रु.2.00 रु. वर्ष 2009-10 से क्रय किया जाता है जो प्रतिवर्ष देय होगा।
6. पंजीयन 62.10.2.00 रु. काश्त की जाती है जो सिर्फ एक बार देय होगा।
7. व्यपवर्तन की स्वीकृत व्यावसायिक निर्वाहार्थ प्रयोजन हेतु दी जाती है प्रयोजन परिवर्तित करने पर पुनः निर्धारण पुनरीक्षित किया जावे।
8. आवेदक निर्माणाधीन मकान के सम्मुख तीन मीटर स्थान छोड़कर निर्माण कार्य करेगा।
9. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में यह अनुज्ञप्ति निरस्त कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की जावेगी।
10. प्रकरण बी-1 इन्द्राज हेतु व्यपवर्तन शाखा भिण्ड की ओर भेजा जावें, इन्द्राज उपरान्त प्रकरण रिकार्ड दाखिल हो।

25.1.09

अनुविभागीय अधिकारी
भिण्ड (म.प्र.)

हेड क्लर्क
कलेक्टोरेट भिण्ड (म.प्र.)